3 कृषि अध्यादेश – किसान कहाँ जाएंगे?

ASHA Webinar Series on Food, Farming and Farmers

Sudha Narayanan (IGIDR)

September 11, 2020

ये तीन अध्यादेश क्या हैं?

1. APMC बाईपास अध्यादेश

APMC की निगरानी और अधिकार क्षेत्र उसके बाज़ार क्षेत्र तक ही सीमित हो जाएगा। बाक़ी सब “व्यापार क्षेत्र”

2. कृषि-व्यापारियों को जमाख़ोरी की आज़ादी अध्यादेश

क़ीमत के उतर चढ़ाव से जोड़कर भंडारण सीमा की मनचाही और अप्रत्याशित अधिसूचनाओं को हटाना

3. अनुबंधीय कृषि अध्यादेश

लिखित अनुबंधों के लिए रूपरेखा तैयार करता है किसानों और प्रायोजकों के बीच .

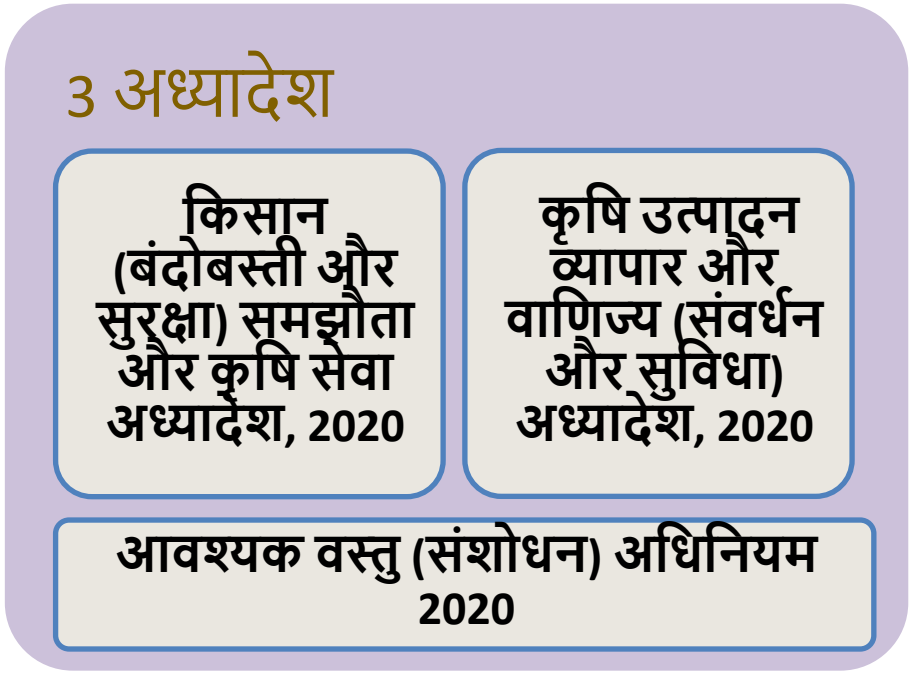

इन तीनों को एकसाथ पढ़ा जाना चाहिए.

मान्यता या है कि नियंत्रणों के हट जाने से दक्षता बढ़ेगी और इस सबका फ़ायदा किसानों को अधिक मूल्य के रूप में मिलेगा

तीनों अध्यादेशों को साथ लाना:
किसानों के नज़रिए से बाज़ार विन्यास के सिद्धांत

- हम किसानों के ख़रीदार, तरीक़े और जगह से जुड़े फ़ैसले के अधिकार/आज़ादी को और मजबूर कर सकते हैं?
- देश के विभिन्न इलाक़ों में क़ीमतों में भिन्नता को कैसे कम कर सकते हैं?
- सप्लाई चेन में मौजूद शक्ति असंतुलन/ग़ैरबराबरी को कैसे कम कर सकते हैं ?
- किसानों को बेहतर मूल्य कैसे मिले?

यह बाज़ार के डिज़ाइन या बनावट पर निर्भर है...

व्यापार का वृहत ईकोसिस्टम (यातायात, बाज़ारों की अधिसंरचना, जाँच-परख, भंडारण, और वित्त)

समझौते और दो सिद्धांत

- निकटता : लेनदेन के ख़र्च को घटाने के लिए बाज़ार को किसानों के पास ले जाएँ
  - जब लेनदेन में मात्रा कम हो तो यह महत्त्वपूर्ण होता है
- Contestability : हर लेनदेन में माध्यमों और सम्भावित ख़रीदारों में छन्ने का मौक़ा
  - प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार लक्ष्य है – बाज़ार छिछला न हो गहरा हो
  - ख़रीद-बिक्री की प्रक्रिया और बाज़ार की बनावट ऐसी हो जो क़ीमतों की पारदर्शिता को सुनिश्चित कर सके
    - मूल्यों के स्थानिक संचरणप्रांतीय ग़ैरबराबरी को संतुलित करेंगे
    - उत्पादन निर्णय के लिए मूल्य संकेत

ख़ासतौर पर यहाँ एक समझौता है

(इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार, गोदाम-आधारित व्यापार आदि सम्भवतः इन समझौतों का ख़्याल रख सकते हैं)

- ये तीन अध्यादेश इन समझौतों का ख़्याल कैसे रख पाएँगे?

1. APMC बाईपास अध्यादेश

“एक ऐसे वातावरण का निर्माण जहाँ किसान और व्यापारी चुनने की आज़ादी का फ़ायदा ले पाएँगे”

- "प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक ट्रेडिंग चैनल"
  - “व्यापार क्षेत्र” वह है जहाँ व्यापार होता है जो फ़िलहाल APMC के अधीन नहीं है (I.2.m)
- “APMC के बाहर पारदर्शी और अवरोध-मुक्त राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देना” (II.4.1)
- “इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए सुविधाजनक ढांचा”

सिद्धांततः,

- छोटे व्यापारियों, FPO के लिए जगह बनाना .
- बाज़ार की कोई फ़ीस न हो – छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देना / बचत को किसानों तक पहुँचाना
- किसान की आज़ादी – ख़रीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा से किसानों को बेहतर क़ीमत मिलेगी.

APMC not as dominant, but important for price discovery

Figure 1: Marketing channels used by farmers for select crops (Kharif, 2012)

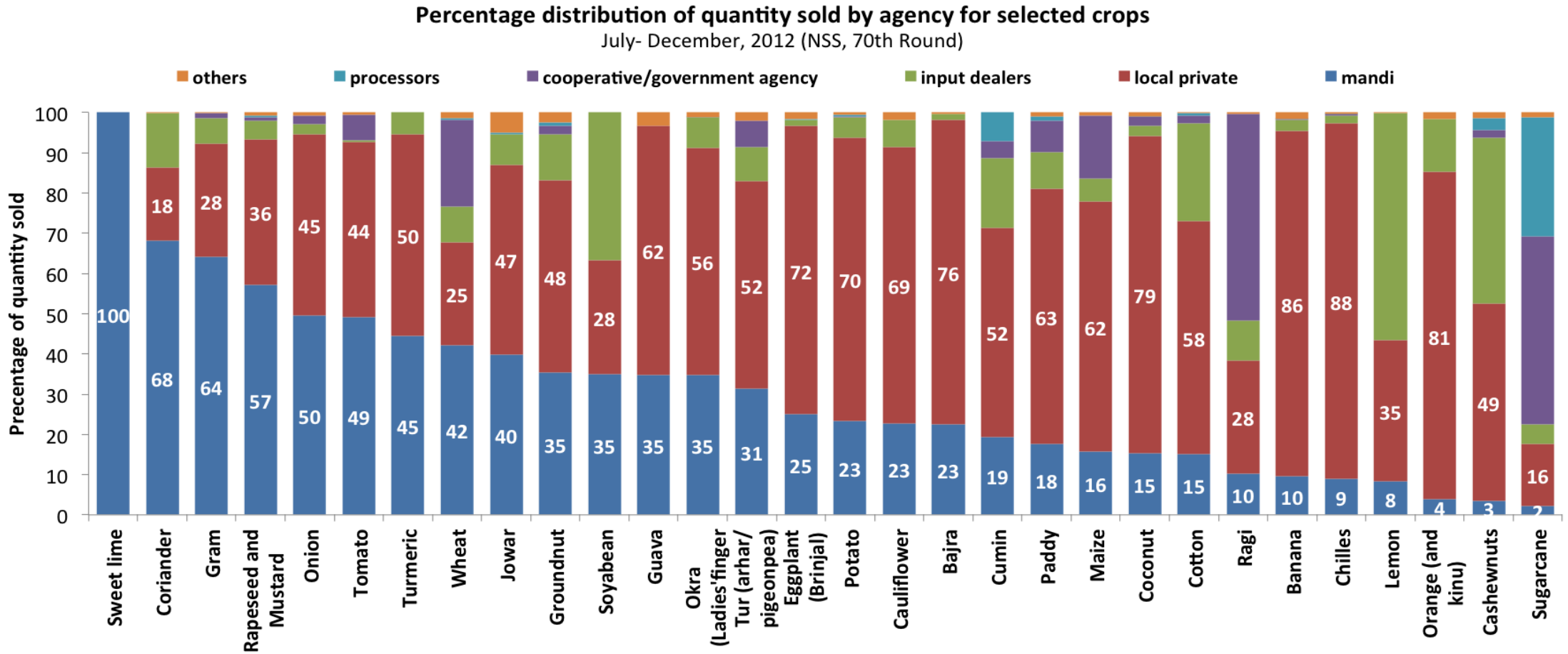

1. APMC को बाईपास करना : सम्भावित समस्याएँ गहरी खाइयाँ

- मंडी के बाहर पुरानी संरचनाओं को पुनर्स्थापित करना?
  अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देना पर साथ ही व्यापार के समय या तीन दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करना
  बिचौलिया-मुक्त व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार में मुश्किल - व्यापारी देखबहल कर ख़रीदें
- छितराए हुए बाज़ार
  - मूल्य खोज तंत्र क्या है? APMC का विकल्प क्या, यदि कोई है, एक संदर्भ मूल्य की पेशकश के रूप में?
  - कई इलेक्ट्रॉनिक प्लैट्फ़ॉर्म आपस में जुड़े नहीं हैं (interoperability)
- बिना प्रतिस्पर्धा वाले बाज़ार: बिखरे हुए बाज़ार का मतलब है एकाधिकार वाले बाज़ार
  - यह अस्पष्ट है कि छोटे व्यापारी क्या इंतेज़ार करते रहेंगे; फ़ायदा आगे हस्तांतरित नहीं कर देंगे
- जिंपर नियंत्रण न हो सके – ख़रीद-बिक्री को अदृश्य बना देना "जिसे आप देख नहीं सकते उसे नियंत्रित नहीं कर सकते"
  - कोई निगरानी सम्भव नहीं होगी
  - क़ीमतों की जानकारी की कमी – section II7(1) and (2)
  - खंडित नियामक संरचना – कई मौजूदा गोदाम और निजी यार्ड APMC के तहत होंगे, नए वाले नहीं होंगे क्या?
- विवाद समाधान तंत्र: कमजोर और किसान के लिए मुश्किल
  - अंतर्राज्यीय व्यापार
  - इलेक्ट्रॉनिक प्लैट्फ़ॉर्म

1. APMC को बाईपास करना: क्या किया जाना चाहिए?

1. एक राष्ट्रीय क्षेत्र का विकास (और भविषयवत विनिमय)
   - पहिये का धुरा और तीली – ई-नाम सहित विभिन्न ई-प्लैट्फ़ॉर्म को आपस में जोड़ा जाए (NeML पहले से मौजूद है)
   - पारदर्शी और निगरानी रखने योग्य, नियामक द्वारा निगरानी ज़रूरी है
   - FPO नीति “10,000 FPOs” – प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर संपर्क सार्वजनिक निवेश – rयह उम्मीद करना कि कृषि-कोरपोरेट किसानों तक लाभ पहुँचाएँगे, अति-उत्साही सोच है
2. आँकड़ों की वास्तुकला – पारदर्शी नीति निर्माण के लिए
3. नियामक अधिसंरचना : यह सही है कि सभी प्राथमिक ख़रीद-बिक्री का नियमन नहीं हो पाएगा पर इस वजह से सभी नियामक व्यवस्थाओं को नहीं समाप्त किया जाना चाहिए

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम

- उद्देश्य क्या थे?
  - स्टॉकिंग सीमा पर मनमाने और अप्रत्याशित प्रतिबंधों की समस्या को दूर करना
  - कटाई के बाद की आपूर्ति श्रृंखला में निजी निवेश को सीमित करने के लिए
  - अभी तक इससे बड़े कारोबारियों को समस्या थी
- मूल्य नियंत्रण केवल असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाएगा
  - बागाती उत्पादों के मामले में 100% और ग़ैर-नश्वर खाद्य उत्पादों के मामले में 50% वृद्धि होने पर
  - मौलिक मूल्य – पिछले 12 महीनों की क़ीमत या 5 वर्षों का औसत खुदरा मूल्य, दोनों में जो भी कम हो
  - अप्रत्याशितता को दूर करता है, लेकिन इतना अधिक है कि यह अप्रासंगिक है
- अप्रत्याशितता को दूर करता है और लाभ श्रृंखला अभिनेताओं को आपूर्ति करता है, लेकिन
  - ट्रिगर मूल्य प्रासंगिक होने के लिए बहुत अधिक है?
  - कीमतों में स्थानिक अंतर अधिक है, इसलिए औसत देशव्यापी आधार मूल्य है
  - स्टॉकिंग सीमा "निर्यात आदेश या प्रसंस्करण क्षमता" के अनुरूप होना चाहिए
  - यह मानना कि इससे किसानों को लाभ होगा, दूर की कौड़ी हो सकता है

भंडार को अदृश्य बनता है – पंजीकृत भंडारण केंद्र बनाम निजी खिलाड़ी - (व्यापार नीति और खाद्य समर्थन पर प्रभाव)

3. अनुबंधीय खेती अध्यादेश: एक नकारा प्रयास?

2001 में शुरू किए गए आदर्श अनुबंधीय कृषि प्रयासों का इतिहास; पिछला अनुभव बताता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम है तो पर उसका उपयोग नहीं होता है

- मौजूदा संस्करण:नया क्या है ?
  - खेत की उपज और कृषि सेवाओं को शामिल करने की गुंजाइश को बढ़ाता है
  - अकेले लिखित अनुबंधों के लिए, लिखित समझौतों पर लागू नहीं है
  - लिखित समझौते सौदों को राज्य क़ानून और ECA से मुक्त कर देते हैं (II.7.1 & 2)
- बाधाएँ
  - विभिन्न कारणों से न तो किसान और ना ही व्यापारी कोई लिखित अनुबंध करने में इच्छुक होते हैं।
  - किसान औपचारिक विवाद निबटारे की माँग करने में आसक्षम हैं, कंपनिया वह करना नहीं चाहतीं, वे दिखाना चाहती हैं की उनकी रुचि केवल धंधे में है

  “हम किसी किसान को कभी अदालत में नहीं ले जाएंगे; इससे केवल ग़लत करने वाला किसान ही नहीं बहुत सारे दूसरे किसान भी नाखुश हो जाएंगे ”. कृषि व्यापार सर्वे, मेट्टूपलायम, तमिल नाडु , 2007.
  - “थर्ड पार्टी पारखियों” की ज़रूरत बताता है (II.4.4) और थर्ड पार्टी प्रवर्तन की माँग करता है
  - बड़ी संख्या में किसानों के साथ काम करने के लिए लिखित अनुबंध महंगा.

बाज़ार

राष्ट्रीय स्पॉट विनिमय

राष्ट्रीय, संघीय नियामक प्राधिकरण

नीति निर्माण के लिए आँकड़ों का ढाँचा

पूरक निवेश (FPOs, ऋण , अधिसंरचना, आदि)

संघवाद

3 अध्यादेश

किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020

कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020

कृषि में राज्य हस्तक्षेप

मूल्य आ समर्थन

आर्थिक सहयोग

सार्वजनिक निवेश (R&D, अधिसंरचना, प्राकृतिक संसाधन, आदि)

संस्थान (नियामक, गुणवत्ता, भोजन की शुद्धता, बाज़ार अवलोकन)

बाज़ार

पूरक सुधार

संघवाद

विनियमन

कृषि-खाद्य बाज़ार में राज्य की भूमिका

3 अध्यादेश

कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020

किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, **2020**

कृषि को सहयोग

- क्या भारतीय कृषि बिना राज्य सहयोग/हस्तक्षेप के आगे बढ़ सकती है?
  - कोक्रेन का ट्रेडमिल
  - सहयोग में वैश्विक विकृतियाँ
  - विशाल कृषि-व्यापारियों और किसानों के बीच शक्ति असंतुलन
- मूल्य समर्थन (उत्पादन मूल्य बनाम लागत मूल्य, सामान्यतः दोनों)
  - MSP, मूल्य भवंतर भुगतान, कृषि उपादानों पर सब्सिडी (वाउचर और स्टाम्प)
  - स्व लक्ष्यीकरण परंतु विकृति लाने वाला
- आर्थिक सहयोग
  - लक्षित व्यक्ति (किसान) होने के कारण व्यक्तिगत लाभ
  - परंतु किसान है कौन?

निष्कर्ष

- ३ अध्यादेश खेल के सभी नियम बदल देंगे

खेल के नियम बदल देना ही काफ़ी नहीं

  - खेल के लिए सुसज्जित और तैयार कौन है?
  - खेल का रेफ़री कौन है?
  - क्या खेल के नतीजे सही आएंगे?

- ज़ब न तो निकटता सुनिश्चित है, ना ही प्रतिस्पर्धा तो किसानों को सही क़ीमत मिलना एक दूर के ढोल जैसा ही है .
- पर्याप्त और ठोस पूरक प्रयासों की जरूरत है
- राज्य की भूमिका पहले के मुक़ाबले ज़्यादा ज़रूरी है